संख्या-15/2016/3089/86-2016-292/2015

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

विषयः- साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि खान और खनिज मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-11 सा.का.नि 95(अ) दिनांक 03 फरवरी, 2000 के द्वारा खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-1957 की धारा-3(ड) के अन्तर्गत बांधों, सड़कों, रेलमार्गो, भवनों के निर्माण के लिए भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त साधारण मिट्टी को उपखनिज घोषित किया गया है। साधारण मिट्टी के लिए अधिकतम 03 माह के लिए खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के निर्देश पूर्व में दिये गये है। अधिकांशतः साधारण मिट्टी का प्रयोग विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा निर्माण कार्यो में किया जाता है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि निर्माण कार्यों में भराई आदि कार्यों के लिये प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने में काफी विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निर्माण कार्य विलम्ब से होता है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य में विलम्ब होने से परियोजना की लागत भी बढ़ जाती है। यदि शासकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिना खनन अनुज्ञा पत्र के साधारण मिट्टी की भराई आदि कार्य किया जाता है, तो शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292, दिनांक 15.10.2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार खनिज मूल्य, जो कि कम से कम रायल्टी का 5 गुना होता है, की देयता होती है। उक्त कारणों से जनहित की परियोजनाओं में विलम्ब के साथ-साथ शासकीय व्यय भार भी बढ़ जाता है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावाली-1963 के अध्याय-6 के अन्तर्गत साधारण मिट्टी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर शीघ्रता से नियमानुसार निर्णय लेकर विलम्बतम 10 दिन के अन्दर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जनपद में साधारण मिट्टी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके निस्तारण के संबंध में प्रत्येक माह अपने स्तर से समीक्षा करने का भी कष्ट करें।

भवदीय

डा0 गुरदीप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्याः-3089(1)/86-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मा मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
2 प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस संबंध में अपने स्तर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा सें,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in